कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी (गया)

पत्रांकः 2112 / दिनांकः 22/07/2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

सेवा में,

M/S Aadarsh Construction (Bid ID: 608913)
Vill.- Gourachni Manpur, Buniyadganj, Mufassil, Gaya-823003
Email ID:- aadarshconstruction@gmail.com

विषयः **शीर्ष MMGSUY-ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (प्रखण्ड मानपुर) अन्तर्गत पैकेज सं० RRSMP/2024-25/Neemchak Bathani/04 (Tender ID-139089) का पथ निर्माण एवं सात वर्षीय रख–रखाव कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्य का आवंटन **अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना का पत्रांक मु०अ०(अ०उ०)–4515–01–791 / 2025–पार्ट-I-2069 / अनु० दिनांक 31.05.2025, मुख्य अभियंता–2(गया), ग्रा0का0 वि0, पटना का पत्रांक–871 दिनांक 03.06.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, गया का पत्रांक 1074 दिनांक 03.06.2025** के द्वारा किये जाने के उपरान्त आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी करते हुए उक्त कार्य को क्रियान्वित करने हेतु आपके द्वारा एकरारनामा किया गया है। किये गये एकरारनामा की सं० **02 /CMBD** वर्ष **2025–26** एवं एकरारित राशि **9,23,88,328 / – (नौ करोड़ तेईस लाख अठासी हजार तीन सौ अठाईस)** रू0 मात्र है। विषयांकित कार्य के स्थल प्रभारी **श्री अरजीत कुमार / श्री राजीव कुमार,** कनीय अभियंता होगें एवं कार्य का क्रियान्वयन **श्री हरे राम,** सहायक अभियंता के कुशल तकनीकी पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में सम्पन्न होगा। इस कार्य हेतु किए गये एकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि आप अविलम्ब संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दें तथा कार्य को तकनीकी विशिष्टियों एवं एकरारनामा में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप सम्पादन करने हेतु ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए ताकि यह कार्य निर्वाध गति से चलती रहे एवं औपबंधिक कार्यादेश निर्गत होने की तिथि अर्थात दिनांक **02.06.2025** से **01.06.2026** के पूर्व तक कार्य को हर हाल में पूर्णरूपेण समाप्त किया जा सके। ज्ञातव्य हो कि यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता श्रेणी का है।

अतः इसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करना अनिवार्य होगा। ***पथ में अगर वन भूमि पड़ती हो तो बिना अनापति प्रमाण–पत्र का उस भाग पर निर्माण कार्य नहीं करना है।*** कराये गये कार्य का संबंधित विभाग से गुणवत्ता से संबंधित एवं गुण नियंत्रण प्रमाण–पत्र विपत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य है एवं विपत्र के साथ **E-Chalan मूल** में जमा करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,

22/07/25

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

22/7/25

22/07/25

Scanned with CamScanner